न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर- शाहजहाँपुर

वाद सं0 - 16/07
ग्राम : आदमपुर
तहसील : सदर
प्रत्यक्ष गोयल

धारा : 143 जेड़. ए. एण्ड एल. आर. एक्ट
परगना - सदर
जिला - शाहजहाँपुर।
बनाम सरकार

नकल आदेश

=====

प्रार्थी प्रत्यक्ष गोयल ने शपथ पत्र सहित प्रार्थना पत्र दिया है कि उसने उक्त वाद से सम्बन्धित गाटा सं0 199 रकबा 1.032 हे0 स्थित ग्राम आदमपुर परगना व तहसील . जिला- शाहजहाँपुर को दि दिनांक 26-11-2007 को कृषि भूमि से औद्योगिक भूमि घोषित की गयी थी, परन्तु अब आवश्यक मे इस भूमि को शैक्षिक संस्था हेतु प्रयोग करेगा।

तदनुसार उक्त भूमि का भू उपयोग औद्योगिक भूमि से शैक्षिक संस्था की भूमि के रूप मे प्रयोग का संशोधित आदेश पारित किया जाता है।

दिनांक :- 04. 7. 2008

उपजिलाधिकारी सदर,
शाहजहाँपुर।

COURT FEE
TEN RUPEES

COURT FEE
TWO RUPEES

COURT FEE
TWO RUPEES

C.F.
Rs. 14/-

वाचक ....
श्रोता ....
दिनांक 9/7/08
प्रार्थी बाबूराम
शब्द 100 लगभग

प्रतिलिपि पत्र संख्या 425/A/9
नोटिस पत्र दिन क 9/7/08
प्रतिलिपि देने का दिन क 9/7/08
कोर्ट फीस 14/- रु
हस्ताक्षर ....

सत्य प्रतिलिपि

कलक्ट्रेट, शाहजहाँपुर

For Er. UMAKANT GOEL MEMORIAL
EDUCATION SOCIETY
Pratyaksh Goel
Manager

(53)

40815
Mohit 2516686

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर- शाहजहाँपुर ।

वाद सं0 16/07 — धारा: 143 जेड. ए. एण्ड एल. आर. एक्ट

ग्राम : आदमपुर — परगना -सदर

तहसील: सदर — जिला: शाहजहाँपुर।

प्रत्यक्ष गोयल — बनाम — सरकार

नकल आदेश::

यह वाद प्रत्यक्ष गोयल पुत्र स्व0 उमाकान्त गोयल निवासी नेहरू पार्क कालोनी प्रेमनगर जिला बरेली द्वारा भूमि गाटा सं0 199/1.032 हे0 स्थित ग्राम आदमपुर परगना व तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर को औद्योगिक / अकृषिक भूमि घोषित किए जाने हेतु उ0प्र0 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुआ।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या प्राप्त की गयी जो पत्रावली पर रक्षित है। तहसीलदार सदर की आख्या के परिप्रेक्ष्य मे पक्षकार को विधिवत नोटिस जारी किया गया।

वादी न्यायालय उपस्थित हुए उन्हे सुना गया। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 21.11.07 के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 21.11.07 के द्वारा अवगत कराया गया है कि खाता खतौनी सं0 190 क्षेत्रफल 1.032 स्थित ग्राम आदमपुर परगना व तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर मे निर्माण कार्य प्रारम्भ है इस पर कृषि कार्य नही हो रहा है। चूँकि तहसीलदार सदर की आख्या पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुयी है। अतः उनकी आख्या स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 21.11.07 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम आदमपुर परगना व तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर की खाता खतौनी सं0 190 की गाटा सं0 199 क्षेत्रफल 1.032 हे0 को औद्योगिक भूमि घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी किया जाये।

आदेश की एक प्रति उप निबंधक सदर को भी प्रेषित किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 26.11.2007

उपजिलाधिकारी सदर,
शाहजहाँपुर।

For Er. UMAKANT GOEL MEMORIAL
EDUCATION SOCIETY
Pratyaksh Goel
Manager

वाचक ...
श्रोता ...
दिनांक 29-11-07
प्रार्थी ...
...

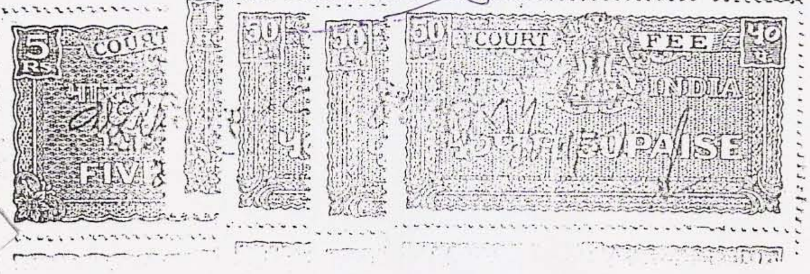

प्रतिलिपि पत्र संख्या 2609/AS/29-1
नोटिस पत्र दिनांक 29-11-07
प्रतिलिपि देने का दिनांक 29-11-07
कोर्ट फीस Rs. 14/-
...